

आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 12 जनवरी, 2016 के आधार पर जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असों से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.40 है० की दुगुनी अवनत वन भूमि 2.800 है० जो ग्राम कर्मी पटवारी क्षेत्र कर्मी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 156 के पैमाईशी खेत नम्बर 12171 रकवा 3.333 है०, मध्ये 2.800 है० कुल रकवा 2.800 है० श्रेणी 9(3)ख (अन्य प्रकार के वन) के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(11)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 805/X-4-15/1(451)/2015 दिनांक 07 सितम्बर, 2015 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 2.800 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 55/ छब्बीस वन /2015-16 दिनांक 19/01/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2-अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड कपकोट।

3- उपजिलाधिकारी, कपकोट।

4-तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

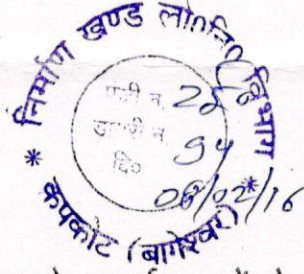
अ. नं० 40
KMS
19/02/16

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या- 89/ र०का०/कपकोट/व०भू०ह०/2015-16/दिनांक 23/01/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।



विषय :- जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असों से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 1.40 है० वन भूमि की दुगुनी 2.800 है० भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या 55/छब्बीस वन/ 2015-16 ,दिनांक 19/01/2016 के क्रम में ग्राम कर्मी पटवारी क्षेत्र कर्मी तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या 156 के पैमाईशी खेत नम्बर 12171 रकवा 3.333 हैक्टेयर, मध्ये 2.800 हैक्टेयर, कुल रकवा 2.800 हैक्टेयर भूमि श्रेणी 9(3) ख (अन्य प्रकार के वन) क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :- (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
(02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

AE II / 2015-16

Kash
08/02/16

तहसीलदार
कपकोट।

अंश - ट (2) रक 2 :- अन्य प्रकार के वन :-

24/07/2024

तहसीलदार
तहसील कपकोट

23.1.16